संख्या – 345/V–2011–34(आ0)/2008

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3– सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार/गंगोत्री।

4– नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 27 मार्च, 2012

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 के निर्गत होने से पूर्व लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2009–V-2011–55(आ0)/2006टी0सी0, शासनादेश संख्या–2010–V-2011–55(आ0)/2006टी0सी, शासनादेश संख्या–2012–V-2011–55(आ0)/2006 टी0सी0, एवं अधिसूचना संख्या–2011–V-2011–55(आ0)/2006 टी0सी0 समदिनांकित 17–11–2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र में भवन मानचित्र एवं परियोजनाओं के स्वीकृति हेतु विचाराधीन प्रकरण, जो उक्त उपविधि/विनियम–2011 के प्रवृत्त होने के पूर्व से प्राधिकरणों में लम्बित है, का निस्तारण पूर्व में प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधियॉ/विनियमों के अनुसार ही किया जाये, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत मामलों के सम्बन्ध में उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 17–11–2011 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या – 345 (1)/V–2012–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
2. अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
3. वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम
अपर सचिव